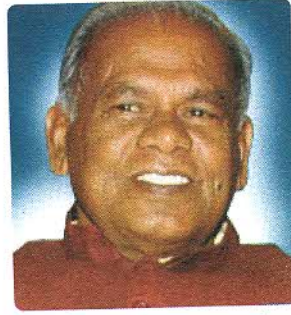




बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग



श्री जीतन राम मांझी
मुख्यमंत्री बिहार

सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2010-2015 के लिए
अद्यतन संशोधित साहाय्य मानदर

दूरभाष संख्या - 0612.2215600

राज्य नियंत्रण कक्ष रु 0612.2217305 टेली फैक्स

Fax : 0612-2217786

Website : <http://disastermgmt.bih.nic.in/>

Email : secy-disastermgmt-bih@nic.in

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—1प्रा0आ0—36/2002/1293/आ0प्र0 दिनांक—17.04.2012 (राज्य में दिनांक 01.04.2012 के प्रभाव से लागू) एवं साहाय्य मानदर में संशोधन हेतु विभागीय पत्रांक—728/आ0प्र0 दिनांक—20.02.2013 (राज्य में दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से लागू), विभागीय पत्रांक—4154/आ0प्र0, दिनांक—18.09.2013 (राज्य में दिनांक—15.08.2013 के प्रभाव से लागू), विभागीय पत्रांक —4155/आ0प्र0, दिनांक 18.09.2013 (राज्य में दिनांक—15.08.2013 के प्रभाव से लागू), विभागीय पत्रांक—2066/आ0प्र0, दिनांक—16.06.2014 (राज्य में दिनांक 01.03.2014 के प्रभाव से लागू) तथा विभागीय पत्रांक—3460/आ0प्र0, दिनांक—19.09.2014 द्वारा वर्ष 2010—15 तक के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार (एन0डी0आर0एफ0 एवं एस0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित अद्यतन संशोधित साहाय्य मानदर :-

क्र0 सं0	मद का नाम/ITEM	भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानदर/ Norms of Assistance	अभ्युक्ति
1	GRATUITOUS RELIEF/ अनुग्रह अनुदान:-		
	a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons	Rs.1.50 lakh per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority. - In the case of an Indian citizen who loses his life due to a notified natural calamity in a foreign country, his family would not be paid this relief. - In the case of a Foreign citizen who loses his life due to a notified natural calamity within the territory of India, his family would	

		also not be paid this relief.	
	(क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	₹ 1.50 लाख प्रति मृतक (राहत कार्य एवं तैयारी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों की मृत्यु सहित), बशर्ते सक्षम प्राधिकार द्वारा मृत्यु के कारणों का प्रमाणीकरण (Certification) किया गया हो। ➤ भारतीय नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण विदेश में मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। ➤ इसी प्रकार विदेशी नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।	
	b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s).	Rs. 43,500/- per person, when the disability is between 40% and 80%. Rs. 62,000/- per person, when the disability is more than 80%. Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability	
	(ख) हाथ-पैर या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	₹ 43,500.00 प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 40 से 80 प्रतिशत के बीच हो) ₹ 62,000.00 प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 80 प्रतिशत से अधिक हो) बशर्ते सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी के द्वारा विकलांगता के सीमा एवं कारण का प्रमाणीकरण किया गया हो।	

	c) Grievous injury requiring hospitalization	Rs. 9300/- per person requiring hospitalization for more than a week. Rs. 3100/- per person requiring hospitalization for less than a week	
	(ग) गंभीर चोट जिसके चलते हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े।	₹ 9300.00 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर) ₹ 3100.00 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर)	
	d) Clothing and utensils/ house-hold goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than a week due to a natural calamity.	Rs.1300/- per family, for loss of clothing. Rs.1400/- per family, for loss of utensils/ household goods	
	(घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन/घरेलू सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो।	₹ 1300.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए ₹ 1400.00 प्रति परिवार वर्तन/घरेलू सामान की क्षति के लिए	

	e) Gratuitous relief for families in dire need of immediate sustenance after a calamity. GR to be provided to those who have no food reserves, or whose food reserves have been wiped out in a calamity, and who have no other immediate means of support.	Rs.40 per adult and Rs. 30 per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise. Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack	विभागयी पत्रांक 4154 दिनांक 18.09.2013 द्वारा संशोधित एवं दिनांक 15.08.2013 के प्रभाव से लागू
	(ड़) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान की आवश्यकता जिनके पास खाद्यान्न नहीं है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गये है और उन्हें तत्काल सहायता के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है।	₹ 40.00 प्रति व्यस्क एवं ₹ 30.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि (i) इन व्यक्तियों के पास खाद्यान्न नहीं है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गए हैं। (ii) चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं। वैसे लाभार्थियों तक जिलावार पहुँचने के लिए राज्य सरकार द्वारा आधार एवं प्रक्रिया तय की जायेगी। ➤ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने	

		की समय सीमा एस0डी0आर0एफ0 के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन0डी0आर0एफ0 के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी। ➤ सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली बार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आक्रमण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।	
2	SEARCH & RESCUE OPERATIONS / खोज एवं बचाव कार्य		
	(a) Cost of search and rescue measures/ evacuation of people affected/ likely to be affected	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). - By the time the Central Team visits the affected area, these activities are already over. Therefore, the State Level Committee and the Central Team can recommend actual/near-actual costs.]	
	(क) खोज एवं बचाव उपायों की लागत/ आपदा प्रभावित/ आपदा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों का निष्कासन।	वास्तविक खर्च के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➤ जिस समय केन्द्रीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जाता है उस समय सहाय्य संबंधी गतिविधियाँ समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय दल वास्तविक/ लगभग वास्तविक	

		लागत की अनुशंसा कर सकते हैं	
	(b) Hiring of boats for carrying immediate relief and saving lives.	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.	
	(ख) जीवन रक्षा एवं तत्काल राहत पहुँचाने हेतु भाड़े के नाव की व्यवस्था	वास्तविक लागत के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➤ सहाय्य की मात्रा आपदा में फसे लोगों के निष्कासन तथा उनके जीवन रक्षा के लिए नाव के भाड़े एवं आवश्यक सामग्रियों पर वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।	
3	RELIEF MEASURES/ राहत कार्य		
	a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected/evacuated and sheltered in relief camps.	As per assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF), for a period up to 30 days. The SEC would need to specify the number of camps, their duration and the number of persons in camps. In case of continuation of a calamity like drought, or widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this	

		period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM).	
	(क) आपदा प्रभावित/निष्कासित/राहत शिविरों में आश्रय लिए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था।	30 दिनों तक के लिए एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत शिविरों की संख्या, उनकी अवधि एवं शिविर में लोगों की संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा। सूखे की तरह निरंतर आपदा की स्थिति/भूकम्प/बाढ़ से बड़े पैमाने की तबाही की स्थिति में साहाय्य की अवधि 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा गंभीर सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) द्वारा दिया जा सकता है।	
	b) Air dropping of essential supplies	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.	
	(ख) आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण।	➤ एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन	➤

		किया जाएगा । ➤ सहायता की मात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना/अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक ही सीमित रहेगी।	
	c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought.	
	(ग) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति	एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । 30 दिनों के लिए और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।	
4	CLEARANCE OF AFFECTED AREAS/ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई		
	a) Clearance of debris in public areas.	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF	
	(क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलवा की सफाई	साहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।	

	b) Draining off flood water in affected areas	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF).	
	(ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी	साहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।	
	c) Disposal of dead bodies/ Carcasses	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).	
	(ग) मानव शवों/ एवं मृत पशुओं का निष्पादन।	वास्तविकता के अनुरूप एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।	
5	AGRICULTURE/ कृषि		
(i)	Assistance to small and marginal farmers./ लघु एवं सीमान्त कृषकों को साहाय्य		
A	Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु साहाय्य		
	a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3”, to be certified by	Rs. 8,100/- per hectare for each item. (Subject to the condition that no	

	the competent authority of the State Government.)	other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)	
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas		
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms		
	(क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/ सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो)	₹ 8100.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए (बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता / सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो)	
	(ख) पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि से डेवरिस (मलवा) हटाने के लिए		
	(ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मत		
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	Rs. 25,000/- per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records.	
	(घ) भूस्खलन/ बर्फ का पहाड़ से खिसकना, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति।	₹ 25,000.00 प्रति हेक्टर सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक हैं।	
B	Input subsidy (where crop loss is 50% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहाँ फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो।)		

	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	Rs. 4,500/- per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas. Rs. 9,000/- per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.500 and restricted to sown areas.	विभागीय पत्रांक 4154 दिनांक 18.09.2013 द्वारा संशोधित एवं दिनांक 15.08.2013 से लागू।
	(क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए	₹ 4,500/- प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 9,000/- प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 750/-रु0 से कम नहीं दी जाएगी।	
	b) Perennial crops	Rs. 12,000/- ha. for all types of perennial crops subject to areas being sown and subject to minimum assistance not less than Rs.1500/-.	
	(ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए	₹ 12,000/- प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1500/-रु0 से कम नहीं दी जाएगी।	
	c) Sericulture	Rs. 3,200/- per ha. for Eri, Mulberry, Tussar Rs. 4,000/- per ha. for Muga.	
	(ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए	₹ 3,200/- प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलवेरी" एवं "तसर" के लिए ₹ 4,000/- प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए	

(ii)	Input subsidy to farmers other than small and marginal farmers	Rs.4500/- per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas. Rs.9000/- per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas. Rs.12000/- per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas. - Assistance may be provided where crop loss is 50% and above, subject to a ceiling of 1 ha. per farmer and upto 2 ha per farmer in case of successive calamities irrespective of the size of holding being large	विभागीय पत्रांक 4154 दिनांक 18.09.2013 द्वारा संशोधित एवं दिनांक 15.08.2013 से लागू।
(ii)	लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी।	₹ 4500 / – प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 9,000 / – प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 12,000 / – प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। 50 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 1 हेक्टेयर प्रति कृषक, अनुवर्ती आपदा के मामले में 2 हेक्टेयर प्रति कृषक चाहे जमीन का आकार कैसा भी हो।	
6	ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता		
	i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	Milch animals - Rs.16,400/- Buffalo/ cow/ camel/ yak etc. Rs.1650/- Sheep/ Goat	

		<i>Draught animals -</i> Rs.15000/- Camel/ horse/ bullock, etc. Rs.10,000/- Calf/ Donkey/ Pony/ Mule - The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 1 large milch animal or 4 small milch animals or 1 large draught animal or 2 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government). <i>Poultry:-</i> Poultry @ 37/- per bird subject to a ceiling of assistance of Rs 400/- per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity. <i>Note:</i> - Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.	
	i) अदुग्धकारी / दुग्धकारी या दुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	दूध देने वाला जानवर भैंस / गाय / ऊँट / याक इत्यादि ₹ 16,400/- की दर से भेड़ / बकरी ₹ 1650/- की दर से	

		अदुग्धकारी जानवर उँट/घोड़ा/बैल इत्यादि ₹ 15000/- की दर से बछड़ा/गदहा और टट्टू ₹ 10000/- की दर से साहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह एक बड़े अदुग्धकारी जानवर या चार छोटे अदुग्धकारी जानवर या एक बड़े अदुग्धकारी जानवर या दो छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी) पॉल्ट्री ₹ 37/- प्रति चिड़ियों की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 400/- रु० की अधिकतम सीमा के अंतर्गत। पॉल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर अनुदान देय होगा। टिप्पणी:- इन मानदरों के अंतर्गत साहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना यथा चिड़ियों की क्षति पक्षी इन्फ्लुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिकों को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो।	
	ii) Provision of fodder / feed concentrate including water supply and medicines in	Large animals- Rs. 50/- per day Small animals- Rs. 25/- per day,	विभागीय पत्रांक

	cattle camps.	Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be up to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days.	
	ii) पशु शिविरों में पशुचारा / feed concentrate / पशु दवा एवं जल आपूर्ति हेतु।	बड़ा पशु ₹ 50 / – प्रतिदिन की दर से। छोटा पशु ₹ 25 / – प्रतिदिन की दर से। साहाय्य के लिए समय का आंकलन राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा और एनडीआरएफ से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा। अनुदान के लिए समय-सीमा 30 दिनों से 60 दिनों तक तथा भीषण सूखादि आपदा की स्थिति में 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकेगा।	
	iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.	
	iii) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन	वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एनडीआरएफ से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा। यह अनुदान पशु गणना के आकलन पर आधारित होगा।	
7	FISHERY/ मत्स्य पालन		

	i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost -- Boat -- Dugout-Canoe -- Catamaran -- net (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	Rs. 3,000/- for repair of partially damaged boats only Rs.1,500/- for repair of partially damaged net Rs.7,000/- for replacement of fully damaged boats Rs.1,850/- for replacement of fully damaged net	
	(i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मत/पुर्नस्थापन— क्षतिग्रस्त या खो जाने पर – • नाव • डोगी • कटमरैन • जाल (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अच्छादित है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा।)	₹ 3,000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए ₹ 1500/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए ₹ 7,000/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 1,850/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए	
	ii) Input subsidy for fish seed farm	Rs. 6,000 per hectare. (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and	

		Fisheries, Ministry of Agriculture.)	
	(ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी	₹ 6,000/- प्रति हेक्टर (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा। अपवाद –यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त किया है।)	
8	HANDICRAFTS/HANDLOOM – ASSISTANCE TO ARTISANS/ हस्तशिल्प / हस्तकरघा- कारीगरों के लिए सहायता		
	i) For replacement of damaged tools/ equipment	Rs. 3000 per artisan for equipments. - Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.	
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए	₹ 3,000 / – प्रति शिल्पी बशर्ते यह क्षति / प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।	
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	Rs. 3,000 per artisan for raw material. - Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.	
	(ii) कच्चे माल / प्रक्रियाधीन माल / तैयार माल के क्षति के लिए	₹ 3,000 / – प्रति शिल्पी कच्चे माल के लिए बशर्ते यह क्षति / प्रतिस्थापन राज्य	

		सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।	
9	HOUSING/ अवास/मकान		
	a) Fully damaged/ destroyed houses		
	i) Pucca house	Rs. 70,000/- per house in plain areas.	पत्रांक 4154 दिनांक 18.09.2013 द्वारा द्वारा संशोधित एवं दिनांक 15.08.2013 से लागू।
		Rs. 75,000/- per house in hilly areas including Integrated Action Plan (IAP) districts.	विभागीय पत्रांक 2066 दिनांक 16.06.2014 द्वारा संशोधित एवं 01.03.2014 से लागू।
	ii) Kutcha House	Rs.17,600/- per house	
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान		
	(i) पक्का मकान	₹ 70,000/- प्रति मकान, मैदानी क्षेत्रों के लिए	पत्रांक 4154 दिनांक 18.09.2013 द्वारा द्वारा संशोधित एवं दिनांक 15.08.2013 से लागू।
		₹ 75,000/- प्रति मकान, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, आई0ए0पी0 जिलों सहित।	विभागीय पत्रांक 2066 दिनांक 16.06.2014 द्वारा संशोधित एवं 01.03.2014 से लागू।
	(ii) कच्चा मकान	₹ 17,600/- प्रति मकान	
	b) Severely damaged houses		
	i) Pucca House ii) Kutcha House	Rs.12,600/- per house Rs.3,800/- per house	
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान		

	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	₹ 12,600 / – प्रति मकान ₹ 3,800 / – प्रति मकान	
	(c) Partially Damaged Houses –		
	(i) Pucca (other than huts) where the damage is at least 15 %	Rs. 3,800/- per house	
	(ii) Kutcha (other than huts) where the damage is at least 15 %	Rs. 2,300/- per house	
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान		
	(i) पक्का (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो ।	₹ 3,800 / – प्रति मकान	
	(ii) कच्चा (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो ।	₹ 2,300 / – प्रति मकान	
	d) Damaged / destroyed huts:	Rs. 3,000/- per hut, (Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.) Note: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government	
	(घ) क्षतिग्रस्त / बर्बाद झोपड़ी	₹ 3,000 / – प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का मतलब— अस्थायी, बनाकर हटाने वाला ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है)	विभागीय पत्रांक 2066 दिनांक 16.06.2014 द्वारा संशोधित एवं 01.03.2014 से लागू।

		टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत संरचना होनी चाहिए।	
	e) Cattle shed attached with house	Rs.1,500/- per shed.	
	(इ) घर के साथ संलग्न पशु शेड	₹ 1,500 / – प्रति पशु शेड	
10	INFRASTRUCTURE/ अधारभूत संरचना		
	Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure: (1) Roads & bridges (2) Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community assets owned by Panchayat. Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/restoration works from their own funds/ resources, are excluded.	Activities of immediate nature : Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed Appendix. Assessment of requirements : Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are • Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR)	

		• Hills: upto 20% of total of OR and PR. <i>Note:</i> States shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair.	
	अधारभूत संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्स्थापन (तत्काल प्रकृति के) (1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्ति कार्य (3) सिंचाई, (4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ। Telecommunication और उर्जा जैसे sectors (तत्काल विद्युत आपूर्ति के पुनःस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जित करते हैं और तत्काल मरम्मत पुनः स्थापन कार्य अपनी निधि/ स्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) है।	तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप : तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (Work of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है। आवश्यकताओं का आंकलन : आवश्यकताओं के आकलन पर राज्यों की लागत/ दर के आधार पर मरम्मत हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सिफारिश किया जायेगा एवं एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जायेगा। ➤ सड़कों की मरम्मत के संबंध में भारत के सड़क मरम्मत नॉर्मस 2001 में निर्धारित रख-रखाव के मानदंड के अनुरूप भारी बारिश/ बाढ़/ चक्रवात/ भूस्खलन/ रेत टीला आदि के दौरान यातायात बहाल करने के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जाय: • सामान्य एवं शहरी क्षेत्र : कुल सामान्य मरम्मत (Ordinary Repair) एवं चक्रीय मरम्मत (Periodic Repair) का अधिकतम 15 प्रतिशत • पहाड़ी क्षेत्र— कुल सामान्य मरम्मत (Ordinary Repair)	

		एवं चक्रीय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 20 प्रतिशत नोट:- राज्य द्वारा पहले अपने बजट प्रावधान के तहत नियमित रख-रखाव एवं मरम्मती का उपयोग किया जायेगा।			
	भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्रांक-32-3/2013-NDM दिनांक-05.03.2014 के आलोक में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल की मरम्मती के लिए दर निम्नानुसार संशोधित किये गये हैं, जिससे विभागीय पत्रांक-3460/आ0प्र0, दिनांक-19.09.2014 द्वारा राज्य में दिनांक- 01.08.2014 के प्रभाव से लागू किया गया है।	क्र०	श्रेणी	सड़को की तत्कालिक मरम्मति हेतु अनुमान्य दर (रूपये लाख में/कि०मी०)	यदि सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) तथा चक्रीय मरम्मति (Periodic Repair) के लिए राज्यकोष में प्रावधान किया जाना है, तो अनुमान्य दर का अधिकतम दर (OR+PR) दर के 15/20% को सहाय्य के गणना के लिए प्रयुक्त होगा।
		1	राजकीय राजमार्ग	1.00	
		2	मुख्य जिला सड़क	1.00	
		3	ग्रामीण/पंचायत सड़क	0.60	
11.	PROCUREMENT/ खरीद				
	Procurement of essential search, rescue and evacuation equipments including communication equipments, etc. for response to disaster.	- Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF.			
	आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक खोज, बचाव, निष्कासन के उपकरण एवं संचार उपकरणों सहित का क्रय	➤ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस०डी०आर०एफ० से ही (एन०डी०आर०एफ० से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➤ कुल व्यय की राशि एस०डी०आर०एफ० के वार्षिक			

		विनियोजन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
--	--	--	--

महत्वपूर्ण

विभागीय पत्रांक 4155 दिनांक 18.09.13 के अनुसार मानदर के क्रमांक 1 (ड़) के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त साहाय्य के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के अतिरिक्त 2000/— (दो हजार) रुपये नगद अनुदान मद में (दिनांक 15.08.2013 से) दिया जाएगा।

Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply :

- i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/ spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.
- ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
- iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake – structure, approach gantries/jetties.

2. Roads

- i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
- ii) Repair of breached culverts.
- iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
- iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation :

- i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.
- ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.
- iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.

4. Health :

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/ community Health Centres.

5. Community assets of Panchayat

- a) Repair of village internal roads.
- b) Removal of debris from drainage/sewerage lines.
- c) Repair of internal water supply lines.
- d) Repair of street lights.
- e) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, *anganwadi*, etc.

तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (कार्यकलापों) की विस्तृत सूची:-

1. पेय जलापूर्ति:

- I. हैंडपम्पों के क्षतिग्रस्त चबूतरों /रिंगवेल्स/स्प्रिंग-टैप्ड चेम्बर्स/पब्लिक स्टैंड पोस्ट/ जल-कुण्डों (Cisterns) की मरम्मत।
- II. क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ (नई पाईप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्ट का पुनःस्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।
- III. क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मत।

2. सड़क:

- I. दरार (Breaches) और सड़क के गड्ढे को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधों की मरम्मत और स्टोन पीचिंग।
- II. दरारयुक्त टूटे पुलियों की मरम्मत।
- III. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।
- IV. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल/पुल के तटबंधों के समीप अस्थायी मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मत/काउजवेज (Causeways) की मरम्मत कराना/यातायात को पुनः स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर छाई बिछाना।

3. सिंचाई:

- I. क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, बालू के बोरों एवं पत्थरों से किया जाने वाला मिट्टी/राज मिस्त्री का कार्य।
- II. बंध/तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपींग या रैट होल्स) की मरम्मत।
- III. नहर और जल निकासी तंत्र से वनस्पति सामग्री/मकान बनाने की सामग्रियाँ/मलबों का बाहर निकालना।

4. स्वास्थ्य:

क्षतिग्रस्त पहुँचाव पथों/भवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत।

5. पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ:

- (क) गाँव के आंतरिक सड़कों की मरम्मत।
- (ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।
- (ग) आंतरिक जलापूर्ति लाईन की मरम्मत।
- (घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मत।
- (ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक हॉल, आंगनबाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मत।

विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित सुरक्षात्मक उपायों का संकलन

बाढ़ सुरक्षा उपाय

घर छोड़ने की सलाह दिये जाने पर क्या करें ?

- ❖ समुदाय द्वारा पूर्व में बनायी गयी कार्य योजना के अनुरूप कार्य करें।
- ❖ आपकी बहुमूल्य वस्तुओं, अभिलेखों व अन्य को इकट्ठा कर सुरक्षित स्थान पर रखें।
- ❖ फर्नीचर व अन्य निजी वस्तुओं को बाढ़ से संभावित स्तर से ऊपर रखें।
- ❖ रसोई गैस, बिजली व पानी की आपूर्ति बन्द कर दें।
- ❖ घर के सभी दरवाजे व खिड़कियाँ मजबूती से बन्द कर दें।
- ❖ समस्त विद्युतीय उपकरणों को बाढ़ से संभावित स्तर से ऊपर सुरक्षित स्थान पर रखें।
- ❖ रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर खाली कर दें तथा बिजली कनेक्शन अलग कर दें।
- ❖ दरवाजों पर ताले लगायें।
- ❖ निकासी के लिये सुझाये गये सुरक्षित मार्ग का उपयोग करते हुए ऊँचे स्थान पर जायें।
- ❖ आपातकालीन वस्तुयें साथ रखें।

आपातकालीन वस्तुयें :-

- ❖ बैटरी चालित छोटा रेडियो एवं टार्च एवं बैटरी
- ❖ मोमबत्ती व जलरोधी दिया सलाई
- ❖ पीने का पानी एवं खाद्य सामग्री
- ❖ सर्दी, खाँसी, पेचिस, सिरदर्द व बुखार की आम दवायें।
- ❖ मजबूत जूते एवं सम्भव हो तो रबर के दस्ताने
- ❖ अभिलेखों, बहुमूल्य वस्तुएँ व कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए जलरोधी थैला।
- ❖ प्लास्टिक की बाल्टी या कैन जब साफ पानी न मिल सके।
- ❖ आपातकालीन सम्पर्कों के दूरभाष व पते।
- ❖ बर्फ का पिघलना व भारी बरसात और नदी का प्रोपर ड्रिनेज सिस्टम न होने से बाढ़ आती है।
- ❖ भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित हर वर्ष होती है।
- ❖ बाढ़ डैम के टूटने तथा साइक्लोन के कारण भी आ सकती है।
- ❖ अरबन एरिया में अपर्याप्त निकासी व्यवस्था के अभाव में फ्लेश फ्लड आता है।

जलधारा के जल संग्रहण क्षेत्र में होने वाली भारी या लम्बे समय तक होने वाली वर्षा के कारण नदी नालों या अन्य जल क्षेत्रों के प्रवाह में निश्चित समयावधि में होने वाली वृद्धि या पानी के इन जलधाराओं की सीमा के बाहर निकल जाने से उत्पन्न स्थिति को बाढ़ कहते हैं।

बाढ़ से पूर्व तैयारी :-

- ❖ सुनिश्चित करें कि बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में निवास कर रहे समुदायों के साथ-साथ आपके परिवार के सदस्य बाढ़ के खतरों को जानते हैं।
 - ❖ अपने क्षेत्र में पूर्व में आयी बाढ़ सम्बन्धी जानकारी एकत्र करें तथा ऊँचे स्थानों की जानकारी रखें।
- अत्यधिक वर्षा या लम्बे समय तक वर्षा होने की स्थिति में स्थानीय प्रसाधन एवं सूचना माध्यमों द्वारा प्रसारित की जा रही चेतावनियों को ध्यानपूर्वक सुनें तथा उसका अनुपालन करें।
- बाढ़ सुरक्षा से सम्बन्धित आवश्यक सामान को अपने पास रखें।
- समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ बाढ़ से उत्पन्न हो सकने वाली स्थिति के विषय में चर्चा करें।
- सामान्य परिस्थितियों में बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें।
- बाढ़ की स्थिति में निकासी के लिये पूर्व में निश्चित योजना का बनाया जाना आवश्यक है। निकासी की स्थिति उत्पन्न होने पर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिये पूर्व में निश्चित उत्तरदायित्वों व निर्देशों का होना आवश्यक है।

बाढ़ के दौरान क्या करें ?

- ❖ बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आयी खाद्य सामग्रियों का उपयोग न करें।
- ❖ बाहरी क्षेत्रों से प्राप्त व खराब हो गये भोजन का प्रयोग न करें, इसमें विकसित हो रहे जीवाणु आपको बीमार कर सकते हैं।
- ❖ मरे हुए पशु पक्षियों के माँस को भोजन के रूप में उपयोग न करें। सम्भव है कि यह पशु-पक्षी किसी बीमारी के कारण मरे हों।
- ❖ साफ पानी की आपूर्ति प्राप्त होने तक बरसात का पानी एकत्र करें और उबाल कर पियें।
- ❖ आपैचारिक रूप से सुरक्षित घोषित किये जाने तक कुओं का पानी न पियें।
- ❖ बच्चों का ध्यान रखें। उन्हें पानी में खेलने या तैरने न दें।
- ❖ विषैले प्राणियों साँप बिच्छू आदि के प्रति सचेत रहें। सूखे एवं सुरक्षित स्थान की खोज में यह अपने समीप आ सकते हैं।

- ❖ पैदल होने पर पानी के बीच से कभी न जायें और नजदीक ऊँचे स्थान में आश्रय लें ।
- ❖ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदी के तटों से दूर रहें ।
- ❖ बाढ़ से कमजोर हुए तट प्रायः धँस जाते हैं ।
- ❖ स्थानीय समाचार प्रसारणों के सम्पर्क में रहें और प्रसारित की जा रही चेतावनियों व सलाहों का अनुसरण करें ।
- ❖ बाढ़ के पानी के बीच फँच जाने पर वाहन को छोड़ दें व ऊँचे स्थान पर शरण लें ।
- ❖ बाढ़ का खतरा समाप्त होने तक प्रशासन, सामुदायिक नेतृत्व व समाज के साथ विचार विमर्श करते रहें ।

बाढ़ के बाद क्या करें ?

याद रहे आपका घर बाढ़ से प्रभावित हुआ था । बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी आपको कई खतरे से सावधान रहना आवश्यक है अतः निम्न बातों का ध्यान रखें :-

- ❖ अपने वापस लौटने के निर्णय के सम्बन्धी सूचना अपने स्थानीय नेतृत्व व पड़ोसी को दें और अन्तिम निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करें ।
- ❖ कई सड़के अभी भी अवरुद्ध हो सकती है और कड़ियों में जलभराव की समस्या हो सकती है । चेतावनी सूचक चिन्हों को ध्यान में रखकर मार्ग का उपयोग करें ।
- ❖ समाचार प्रसारणों के माध्यमों से ताजा स्थिति से स्वयं को अवगत रखें । फिर से बाढ़ या त्वरित बाढ़ की सम्भावना हो सकती है ।
- ❖ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण न करें । बाढ़ के कारण आपकी जानी-पहचानी जगह में टूट-फूट से परिवर्तन हो सकता है ।
- ❖ बाढ़ द्वारा पीछे छोड़े गये मलवे में खतरनाक जीव शरण ले सकते हैं या धारधार नुकीली वस्तुओं से चोट लग सकती है ।
- ❖ सोने के लिये मच्छरदानी का प्रयोग करें ।
- ❖ नदी के किनारों, भूस्खलन, सम्भावित क्षेत्रों व सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराये गये क्षेत्रों से दूर रहें ।
- ❖ जब तक बाढ़ प्रभावित घरों का निरीक्षण बड़ों द्वारा न किया जाये तब तक बच्चों का प्रवेश न करने दें ।

बाढ़ आपदा राहत कार्यवाहियाँ

बाढ़ घोर संकट लाता है और जटिल समस्या उत्पन्न करता है। बाढ़ में फँसे लोगों को बचाने के लिए व उन तक खाद्य सामग्री व चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए अधिक संख्या में नाव की जरूरत पड़ती है। यदि नाव न मिले तो लोकल उपलब्ध सामान से इम्प्रोवाइज राफ्ट बनाये जा सकते हैं।

1. **टिन राफ्ट** :- यह टिन एवं बम्बू से जरूरत के मुताबिक बनाया गया राफ्ट है। इसमें बाढ़ के दौरान सुरक्षित जगह जाया जा सकता है।
2. **चारपाई राफ्ट** :- यह चारपाई व त्रिपाल से बनावटी तौरपर बनाया गया राफ्ट है जिससे बाढ़ के दौरान बचा जा सकता है।
3. **बम्बू राफ्ट** :- यह बम्बू का रस्सी से बाँध कर बनावटी तौर पर बनाया राफ्ट है जिससे बाढ़ के दौरान बचा जा सकता है।
4. **वैरल राफ्ट** :- यह एक या दो वैरल का बम्बू से बाँध कर बनावटी तौर पर बनाया गया राफ्ट है जिससे बाढ़ के दौरान बचा जा सकता है।
5. **बनाया ट्री राफ्ट** :- यह केले के पेड़ के तने से बनावटी तौर पर बनाया गया राफ्ट है जिससे बाढ़ के दौरान बच कर सुरक्षित स्थान पर जाया जा सकता है।
6. **ट्यूब राफ्ट** :- यह एक ट्यूब का हवा से भर कर बनाया गया राफ्ट है जिसकी सहायता से बचकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा जा सकता है।
7. **वाटर बोतल राफ्ट** :- यह वाटर बोतलों से बनाया गया राफ्ट है जिससे एक व्यक्ति बाढ़ के दौरान तैरकर सुरक्षित जगह जा सकता है।
8. **इम्प्रोवाइज लाइफ जैकिट** :- यह बनावटी तौर पर कपड़े की जैकिट व थर्मोकोल से बनी जैकिट है जिससे एक व्यक्ति तैर कर बाढ़ के दौरान सुरक्षित जगह जा सकता है। इसके अलावा जैकिट न होने पर थर्मोकोल की सीट को शरीर के अगले व पिछले भाग पर बाँधकर भी बाढ़ के दौरान तैर कर सुरक्षित जगह पहुँचा जा सकता है।

पानी में डूबे व्यक्ति की सहायता करते समय ध्यान की बातें :-

- ✓ पानी में डूबे रहे व्यक्ति के ज्यादा पास न जायें।
- ✓ डूब रहे व्यक्ति को रस्सी, लकड़ी आदि पकड़ने का दें।
- ✓ प्रशिक्षित होने पर ही तैर कर डूबते, व्यक्ति को बचायें।
- ✓ पीड़ित व्यक्ति के मुँह एवं स्वाँस नली को अवरोध मुक्त करें।
- ✓ पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम साँस दें।
- ✓ पीड़ित व्यक्ति का रिकवरी पॉजीशन में रखें।
- ✓ गीले कपड़े निकल दें।
- ✓ पीड़ित को गर्म रखें।
- ✓ अस्पताल भेजने की व्यवस्था करें।

विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित सुरक्षात्मक उपायों का संकलन

बाढ़ सुरक्षा उपाय

घर छोड़ने की सलाह दिये जाने पर क्या करें ?

- ❖ समुदाय द्वारा पूर्व में बनायी गयी कार्य योजना के अनुरूप कार्य करें।
- ❖ आपकी बहुमूल्य वस्तुओं, अभिलेखों व अन्य को इकट्ठा कर सुरक्षित स्थान पर रखें।
- ❖ फर्नीचर व अन्य निजी वस्तुओं को बाढ़ से संभावित स्तर से ऊपर रखें।
- ❖ रसोई गैस, बिजली व पानी की आपूर्ति बन्द कर दें।
- ❖ घर के सभी दरवाजे व खिड़कियाँ मजबूती से बन्द कर दें।
- ❖ समस्त विद्युतीय उपकरणों को बाढ़ से संभावित स्तर से ऊपर सुरक्षित स्थान पर रखें।
- ❖ रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर खाली कर दें तथा बिजली कनेक्शन अलग कर दें।
- ❖ दरवाजों पर ताले लगायें।
- ❖ निकासी के लिये सुझाये गये सुरक्षित मार्ग का उपयोग करते हुए ऊँचे स्थान पर जायें।
- ❖ आपातकालीन वस्तुयें साथ रखें।

आपातकालीन वस्तुयें :-

- ❖ बैटरी चालित छोटा रेडियो एवं टार्च एवं बैटरी
- ❖ मोमबत्ती व जलरोधी दिया सलाई
- ❖ पीने का पानी एवं खाद्य सामग्री
- ❖ सर्दी, खाँसी, पेचिस, सिरदर्द व बुखार की आम दवायें।
- ❖ मजबूत जूते एवं सम्भव हो तो रबर के दस्ताने
- ❖ अभिलेखों, बहुमूल्य वस्तुएँ व कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए जलरोधी थैला।
- ❖ प्लास्टिक की बाल्टी या कैन जब साफ पानी न मिल सके।
- ❖ आपातकालीन सम्पर्कों के दूरभाष व पते।
- ❖ बर्फ का पिघलना व भारी बरसात और नदी का प्रोपर ड्रिनेज सिस्टम न होने से बाढ़ आती है।
- ❖ भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित हर वर्ष होती है।
- ❖ बाढ़ डैम के टूटने तथा साइक्लोन के कारण भी आ सकती है।
- ❖ अरबन एरिया में अपर्याप्त निकासी व्यवस्था के अभाव में फ्लेश फ्लड आता है।

जलधारा के जल संग्रहण क्षेत्र में होने वाली भारी या लम्बे समय तक होने वाली वर्षा के कारण नदी नालों या अन्य जल क्षेत्रों के प्रवाह में निश्चित समयावधि में होने वाली वृद्धि या पानी के इन जलधाराओं की सीमा के बाहर निकल जाने से उत्पन्न स्थिति को बाढ़ कहते हैं।

बाढ़ से पूर्व तैयारी :-

- ❖ सुनिश्चित करें कि बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में निवास कर रहे समुदायों के साथ-साथ आपके परिवार के सदस्य बाढ़ के खतरों को जानते हैं।
 - ❖ अपने क्षेत्र में पूर्व में आयी बाढ़ सम्बन्धी जानकारी एकत्र करें तथा ऊँचे स्थानों की जानकारी रखें।
- अत्यधिक वर्षा या लम्बे समय तक वर्षा होने की स्थिति में स्थानीय प्रसाधन एवं सूचना माध्यमों द्वारा प्रसारित की जा रही चेतावनियों को ध्यानपूर्वक सुनें तथा उसका अनुपालन करें।
- बाढ़ सुरक्षा से सम्बन्धित आवश्यक सामान को अपने पास रखें।
- समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ बाढ़ से उत्पन्न हो सकने वाली स्थिति के विषय में चर्चा करें।
- सामान्य परिस्थितियों में बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें।
- बाढ़ की स्थिति में निकासी के लिये पूर्व में निश्चित योजना का बनाया जाना आवश्यक है। निकासी की स्थिति उत्पन्न होने पर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिये पूर्व में निश्चित उत्तरदायित्वों व निर्देशों का होना आवश्यक है।

बाढ़ के दौरान क्या करें ?

- ❖ बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आयी खाद्य सामग्रियों का उपयोग न करें।
- ❖ बाहरी क्षेत्रों से प्राप्त व खराब हो गये भोजन का प्रयोग न करें, इसमें विकसित हो रहे जीवाणु आपको बीमार कर सकते हैं।
- ❖ मरे हुए पशु पक्षियों के माँस को भोजन के रूप में उपयोग न करें। सम्भव है कि यह पशु-पक्षी किसी बीमारी के कारण मरे हों।
- ❖ साफ पानी की आपूर्ति प्राप्त होने तक बरसात का पानी एकत्र करें और उबाल कर पियें।
- ❖ आपैचारिक रूप से सुरक्षित घोषित किये जाने तक कुओं का पानी न पियें।
- ❖ बच्चों का ध्यान रखें। उन्हें पानी में खेलने या तैरने न दें।
- ❖ विषैले प्राणियों साँप बिच्छू आदि के प्रति सचेत रहें। सूखे एवं सुरक्षित स्थान की खोज में यह अपने समीप आ सकते हैं।

- ❖ पैदल होने पर पानी के बीच से कभी न जायें और नजदीक ऊँचे स्थान में आश्रय लें ।
- ❖ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदी के तटों से दूर रहें ।
- ❖ बाढ़ से कमजोर हुए तट प्रायः धँस जाते हैं ।
- ❖ स्थानीय समाचार प्रसारणों के सम्पर्क में रहें और प्रसारित की जा रही चेतावनियों व सलाहों का अनुसरण करें ।
- ❖ बाढ़ के पानी के बीच फँच जाने पर वाहन को छोड़ दें व ऊँचे स्थान पर शरण लें ।
- ❖ बाढ़ का खतरा समाप्त होने तक प्रशासन, सामुदायिक नेतृत्व व समाज के साथ विचार विमर्श करते रहें ।

बाढ़ के बाद क्या करें ?

याद रहे आपका घर बाढ़ से प्रभावित हुआ था । बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी आपको कई खतरे से सावधान रहना आवश्यक है अतः निम्न बातों का ध्यान रखें :-

- ❖ अपने वापस लौटने के निर्णय के सम्बन्धी सूचना अपने स्थानीय नेतृत्व व पड़ोसी को दें और अन्तिम निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करें ।
- ❖ कई सड़के अभी भी अवरुद्ध हो सकती हैं और कड़ियों में जलभराव की समस्या हो सकती है । चेतावनी सूचक चिन्हों को ध्यान में रखकर मार्ग का उपयोग करें ।
- ❖ समाचार प्रसारणों के माध्यमों से ताजा स्थिति से स्वयं को अवगत रखें । फिर से बाढ़ या त्वरित बाढ़ की सम्भावना हो सकती है ।
- ❖ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण न करें । बाढ़ के कारण आपकी जानी-पहचानी जगह में टूट-फूट से परिवर्तन हो सकता है ।
- ❖ बाढ़ द्वारा पीछे छोड़े गये मलवे में खतरनाक जीव शरण ले सकते हैं या धारधार नुकीली वस्तुओं से चोट लग सकती है ।
- ❖ सोने के लिये मच्छरदानी का प्रयोग करें ।
- ❖ नदी के किनारों, भूस्खलन, सम्भावित क्षेत्रों व सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराये गये क्षेत्रों से दूर रहें ।
- ❖ जब तक बाढ़ प्रभावित घरों का निरीक्षण बड़ों द्वारा न किया जाये तब तक बच्चों का प्रवेश न करने दें ।

बाढ़ आपदा राहत कार्यवाहियाँ

बाढ़ घोर संकट लाता है और जटिल समस्या उत्पन्न करता है। बाढ़ में फँसे लोगों को बचाने के लिए व उन तक खाद्य सामग्री व चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए अधिक संख्या में नाव की जरूरत पड़ती है। यदि नाव न मिले तो लोकल उपलब्ध सामान से इम्प्रोवाइज राफ्ट बनाये जा सकते हैं।

1. **टिन राफ्ट** :- यह टिन एवं बम्बू से जरूरत के मुताबिक बनाया गया राफ्ट है। इसमें बाढ़ के दौरान सुरक्षित जगह जाया जा सकता है।
2. **चारपाई राफ्ट** :- यह चारपाई व त्रिपाल से बनावटी तौरपर बनाया गया राफ्ट है जिससे बाढ़ के दौरान बचा जा सकता है।
3. **बम्बू राफ्ट** :- यह बम्बू का रस्सी से बाँध कर बनावटी तौर पर बनाया राफ्ट है जिससे बाढ़ के दौरान बचा जा सकता है।
4. **वैरल राफ्ट** :- यह एक या दो वैरल का बम्बू से बाँध कर बनावटी तौर पर बनाया गया राफ्ट है जिससे बाढ़ के दौरान बचा जा सकता है।
5. **बनाया ट्री राफ्ट** :- यह केले के पेड़ के तने से बनावटी तौर पर बनाया गया राफ्ट है जिससे बाढ़ के दौरान बच कर सुरक्षित स्थान पर जाया जा सकता है।
6. **ट्यूब राफ्ट** :- यह एक ट्यूब का हवा से भर कर बनाया गया राफ्ट है जिसकी सहायता से बचकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा जा सकता है।
7. **वाटर बोतल राफ्ट** :- यह वाटर बोतलों से बनाया गया राफ्ट है जिससे एक व्यक्ति बाढ़ के दौरान तैरकर सुरक्षित जगह जा सकता है।
8. **इम्प्रोवाइज लाइफ जैकिट** :- यह बनावटी तौर पर कपड़े की जैकिट व थर्मोकोल से बनी जैकिट है जिससे एक व्यक्ति तैर कर बाढ़ के दौरान सुरक्षित जगह जा सकता है। इसके अलावा जैकिट न होने पर थर्मोकोल की सीट को शरीर के अगले व पिछले भाग पर बाँधकर भी बाढ़ के दौरान तैर कर सुरक्षित जगह पहुँचा जा सकता है।

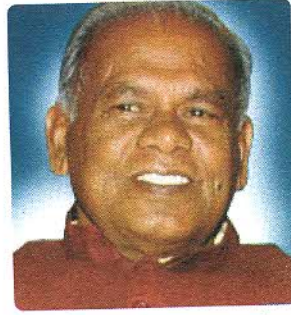
पानी में डूबे व्यक्ति की सहायता करते समय ध्यान की बातें :-

- ✓ पानी में डूबे रहे व्यक्ति के ज्यादा पास न जायें।
- ✓ डूब रहे व्यक्ति को रस्सी, लकड़ी आदि पकड़ने का दें।
- ✓ प्रशिक्षित होने पर ही तैर कर डूबते, व्यक्ति को बचायें।
- ✓ पीड़ित व्यक्ति के मुँह एवं स्वाँस नली को अवरोध मुक्त करें।
- ✓ पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम साँस दें।
- ✓ पीड़ित व्यक्ति का रिकवरी पॉजीशन में रखें।
- ✓ गीले कपड़े निकल दें।
- ✓ पीड़ित को गर्म रखें।
- ✓ अस्पताल भेजने की व्यवस्था करें।



बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग



श्री जीतन राम मांझी
मुख्यमंत्री बिहार

सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2010-2015 के लिए
अद्यतन संशोधित साहाय्य मानदर

दूरभाष संख्या - 0612.2215600

राज्य नियंत्रण कक्ष रु 0612.2217305 टेली फैक्स

Fax : 0612-2217786

Website : <http://disastermgmt.bih.nic.in/>

Email : secy-disastermgmt-bih@nic.in

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—1प्रा0आ0—36/2002/1293/आ0प्र0 दिनांक—17.04.2012 (राज्य में दिनांक 01.04.2012 के प्रभाव से लागू) एवं साहाय्य मानदर में संशोधन हेतु विभागीय पत्रांक—728/आ0प्र0 दिनांक—20.02.2013 (राज्य में दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से लागू), विभागीय पत्रांक—4154/आ0प्र0, दिनांक—18.09.2013 (राज्य में दिनांक—15.08.2013 के प्रभाव से लागू), विभागीय पत्रांक —4155/आ0प्र0, दिनांक 18.09.2013 (राज्य में दिनांक—15.08.2013 के प्रभाव से लागू), विभागीय पत्रांक—2066/आ0प्र0, दिनांक—16.06.2014 (राज्य में दिनांक 01.03.2014 के प्रभाव से लागू) तथा विभागीय पत्रांक—3460/आ0प्र0, दिनांक—19.09.2014 द्वारा वर्ष 2010—15 तक के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार (एन0डी0आर0एफ0 एवं एस0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित अद्यतन संशोधित साहाय्य मानदर :-

क्र0 सं0	मद का नाम/ITEM	भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानदर/ Norms of Assistance	अभ्युक्ति
1	GRATUITOUS RELIEF/ अनुग्रह अनुदान:-		
	a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons	Rs.1.50 lakh per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority. - In the case of an Indian citizen who loses his life due to a notified natural calamity in a foreign country, his family would not be paid this relief. - In the case of a Foreign citizen who loses his life due to a notified natural calamity within the territory of India, his family would	

		also not be paid this relief.	
	(क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	₹ 1.50 लाख प्रति मृतक (राहत कार्य एवं तैयारी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों की मृत्यु सहित), बशर्ते सक्षम प्राधिकार द्वारा मृत्यु के कारणों का प्रमाणीकरण (Certification) किया गया हो। ➤ भारतीय नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण विदेश में मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। ➤ इसी प्रकार विदेशी नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।	
	b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s).	Rs. 43,500/- per person, when the disability is between 40% and 80%. Rs. 62,000/- per person, when the disability is more than 80%. Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability	
	(ख) हाथ-पैर या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	₹ 43,500.00 प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 40 से 80 प्रतिशत के बीच हो) ₹ 62,000.00 प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 80 प्रतिशत से अधिक हो) बशर्ते सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी के द्वारा विकलांगता के सीमा एवं कारण का प्रमाणीकरण किया गया हो।	

	c) Grievous injury requiring hospitalization	Rs. 9300/- per person requiring hospitalization for more than a week. Rs. 3100/- per person requiring hospitalization for less than a week	
	(ग) गंभीर चोट जिसके चलते हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े।	₹ 9300.00 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर) ₹ 3100.00 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर)	
	d) Clothing and utensils/ house-hold goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than a week due to a natural calamity.	Rs.1300/- per family, for loss of clothing. Rs.1400/- per family, for loss of utensils/ household goods	
	(घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन/घरेलू सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो।	₹ 1300.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए ₹ 1400.00 प्रति परिवार वर्तन/घरेलू सामान की क्षति के लिए	

सर्प दंश एवं बचाव

आमतौर पर साँप का नाम सुनते ही डर की अनुभूति होती है। लेकिन इसके अलावा यह भी सत्य है कि मनुष्य आदि काल से सर्प के साथ रहता आ रहा है इसलिये साँप के प्रति आस्था भी है तथा गलत धरणाएँ भी हैं तथा यह सत्य हो रहा है कि साँप मनुष्य को अपने को बचाने की स्थिति में ही काटता है। साँप गर्मी एवं बरसात में ज्यादा हरकत करता है। शहरों की तुलना में गाँवों में साँप काटने की घटनाएँ ज्यादा होती हैं। आमतौर पर दो तरह के साँप होते हैं।

- **कोब्रा ग्रुप**—इसका जहर नाड़ी तंत्र के ऊपर असर करता है।
- **वाइपर ग्रुप**—इसका जहर खून के ऊपर असर करता है। आमतौर पर सर्प लोगों को हानि नहीं पहुँचाते। यह किसानों के लिए लाभदायक है क्योंकि यह फसलों को हानि पहुँचाने वाले कीड़े, मकोड़े, टिड्डी, छोटे पक्षियों के अण्डें व चूहों को खा जाते हैं।
- धीरे-धीरे साँस लेने में तकलीफ होती है।
- आक्सीजन की कमी के कारण साँस लेने में दिक्कत होती है और मुँह नीला पड़ जाता है। अन्त में साँस अवरोध के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

कुछ विषहीन व विषैले सर्पों के नाम निम्न हैं :-

(1) विषहीन सर्प :-

- एनाकोंडा
- बोआ
- गार्टर सर्प
- भूरा वृक्ष सर्प

(2) विषैले सर्प :-

- रैटल सर्प
- कोरल सर्प
- वाटर मोकैसिन
- रसल वाइपर

जहरीला सर्प काटने पर क्या लक्षण होते हैं :-

- काटने के कुछ समय बाद कटे स्थान पर सूजन आ जाती है। कभी-कभी फफोले भी आ जाते हैं।
- नींद व उल्टी आती है।

- रोगी ज्यादा देर तक आँख, मुँह खोल नहीं सकता है।
- काटने के कुछ समय बाद रोगी बैठ नहीं पाता है।
- धीरे-धीरे साँस लेने में तकलीफ होती है।
- आक्सीजन की कमी के कारण साँस लेने में दिक्कत होती है और मुँह नीला पड़ जाता है। अन्त में साँस अवरोध के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

साँप काटने पर क्या कार्यवाही करें ?

- साँप काटे व्यक्ति को सांत्वना दें तथा साहस बढ़ायें तथा यह कहिये कि साँप काटने से मनुष्य नहीं मरता और ऐसा वातावरण बनाये कि कुछ हुआ ही नहीं।
- तुरन्त काटने वाली जगह को देखिये। यदि पैर में काटा है तो घुटने से ऊपर रबर का फीता या मुलायम रस्सी से बाँधे। रस्सी इस प्रकार बाँधी जाये कि एक पेंसिल आराम से घूम सके तथा 15-20 मिनट में टूर्नीकेट को एक या दो मिनट के लिए ढीला कर दें ताकि रक्त प्रभाव सही तरीके से चलता रहे तथा रोगी को किसी भी तरह से चलनें-फिरनें न दें।
- रोगी को सिगरेट, पानी, शराब, चाय आदि न पिलाया जाय। प्रभावित जगह को साबुन पानी से धोयें। गर्म सेक न दें।
- अगर रोगी उल्टी करता हो तो उसे उल्टा सुला देना चाहिए। ताकि उल्टी के कारण स्क्वॉश नली में कोई चीज न फँस जाये।
- जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करें तथा एन्टी वेनम टीके लगायें।

साँप काटने से बचाने के उपाय :-

- जहाँ तक हो सके घर द्वार साफ रखें।
- अँधेरे में हाथ ऐसे जगह न डालें जहाँ काटने की सम्भावना हो।
- जहाँ तक हो सके जमीन पर न साये यदि सोये तो मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें।
- मल त्याग करने जंगल झाड़ी इलाकों में न जायें।
- घर में चूहा आदि न हो इसके लिए चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल करें क्योंकि साँप घरों में चूहों की जगह से आता है।
- मिट्टी के घर में विल होने पर गैमेक्सीन डालकर विल को बन्द करें।
- शयन कक्ष के समीप मुर्गे का दर्बा/घोंसला न बनायें और अँधेरे में मुर्गी के दर्वे एवं घोंसले में हाथ न डालें।
- घर के चारों तरफ स्नेक बाइट ट्रेंच खोद कर फिनायल, ब्लीचिंग व गैमेक्सीन का छिड़काव करें।

- जूता आदि पहनते समय झाड़ कर पहनें।

सर्पदंश के बाद क्या करें, क्या न करें ?

क्या करें ?

- साँप द्वारा पुनः काटे जाने के जोखिम को दूर करने हेतु पीड़ित व्यक्ति को नजदीकी सुरक्षित जगह ले जायें।
- संभव हो तो साँप की प्रजाति विषयक जानकारी एकत्र करें।
- पीड़ित व्यक्ति को ढाँढ़स बँढ़ायें।
- पीड़ित के कपड़े व अगूँठी, घड़ी निकाल दें।
- घाव को साबुन पानी से धोयें।
- सम्पूर्ण प्रभावित भाग पर जीवाणु रोधक मरहम लगायें।
- साँप द्वारा काटे गये शरीर के उस भाग को ऊँचा उठा कर रखें।
- पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक क्रिया न करने दें।
- पीड़ित व्यक्ति को पीने के लिये कोई तरल पदार्थ न दें।
- पीड़ित व्यक्ति को सोने न दें।
- पीड़ित व्यक्ति को गर्म रखें।
- पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल भेजने की व्यवस्था करें।

क्या न करें ?

- पीड़ित व्यक्ति को उत्तेजित न करें और नहीं चलने फिरने दें।
- सर्पदंश के स्थान पर किसी प्रकार का घाव न करें।
- साँप को पकड़ने का प्रयास न करें।
- पीड़ित व्यक्ति को कोई मादक पदार्थ न दें।